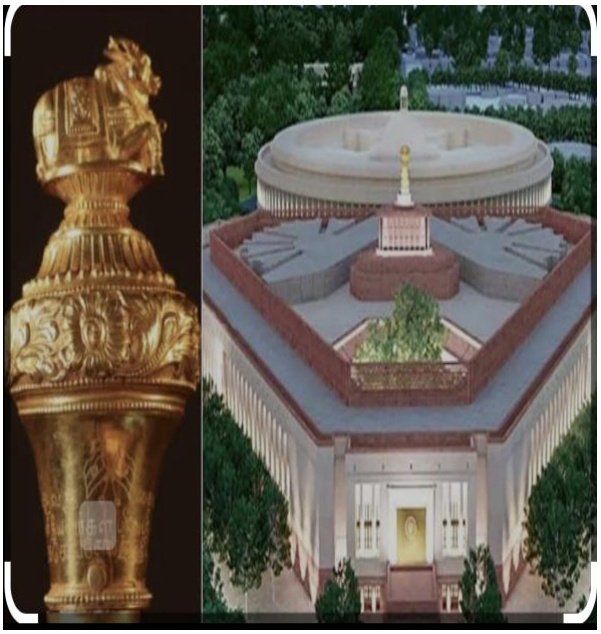

34th REGIONAL LEVEL YOUTH PARLIAMENT
2023-24
KV 1 AMBALA CANTT.
VENUE : KV 1 CHANDI MANDIR CANTT.
ORGANISED BY :- MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS .
GOVT. OF INDIA

YOUTH PARLIAMENT

LIST OF PARTICIPANTS

S.NO	NAME OF THE PARTICIPANT	CLASS	CODE	ROLE PLAYED
1	NIKHIL SINGH	XII-D	**1**	SPEAKER
2	MANISH KUMAR	XI-D	**2**	DEPUTY SPEAKER
3	LOVEPREET SINGH	XII-E	**3**	MARSHAL

TREASURY BENCH

S.NO	NAME OF THE PARTICIPANT	CLASS	CODE	ROLE PLAYED
1	YOGITA SAINI	XII-D	**4**	PRIME MINISTER
2	HARSHITA	XII-C	**5**	HOME MINISTER
3	BADAL	XI-C	**6**	DEFENCE MINISTER
4	SRISHTI	XI-E	**7**	FOREIGN MINISTER
5	SHATAKSHI SHARMA	XI-E	**8**	FINANCE MINISTER
6	TEJASWANI	XII-E	**9**	EDUCATION MINISTER
7	SAMBODHI SAHOTA	XII-D	**10**	MINSTER OF FOOD AND SUPPLY
8	MUSKAN	XII- E	**11**	SPORTS AND YOUTH AFFAIRS MINISTER
9	BHUMIKA GUHERA	XII-E	**12**	WOMEN AND CHILD MINISTER
10	MUSKAN	XII-E	**13**	TEXTILE MINISTER
11	NIKHIL SINGH	XI-E	**14**	STATE LAW AND JUSTICE MINISTER
12	AADITYA SHARMA	XII-D	**15**	LAW AND JUSTICE MINISTER
13	MANISH ROUHTAN	XII-E	**16**	ROAD AND TRANSPORT MINISTER
14	SWETANK TIWARI	XI-D	**17**	ENVIRONMENT MINISTER
15	PRACHI PANNU	X-B	**18**	MEMBER OF PARLIAMENT
16	ABHAS	X-A	**19**	MEMBER OF PARLIAMENT
17	ARMAN	XI-E	**20**	MEMBER OF PARLIAMENT
18	SHAKTI SINGH	XI-D	**21**	MEMBER OF PARLIAMENT
19	ASHISH	XI-E	**22**	MEMBER OF PARLIAMENT
20	SANJAY	XII-E	**23**	MEMBER OF PARLIAMENT
21	TRISHA	XII-D	**24**	MEMBER OF PARLIAMENT
22	AT ABHISHEK	XII-A	**25**	MEMBER OF PARLIAMENT
23	KALPANA MEHLA	IX-B	**26**	MINISTER OF ANIMAL HUSBANDRY , DAIRYING AND FISHERIES
24	JASHMIT SINGH	IX-C	**27**	MEMBER OF PARLIAMENT

25	PRACHI	XI -D	**28**	MEMBER OF PARLIAMENT

OPPOSITION BENCH

S.NO	NAME OF THE PARTICIPANT	CLASS	CODE	ROLE PLAYED
1	ROHIT	XII-E	**29**	LEADER OF OPPOSITION
2	VIRENDRA	XI-D	**30**	MEMBER OF PARLIAMENT
3	SATNAM SINGH	XI-D	**31**	MEMBER OF PARLIAMENT
4	NEETU	XI-D	**32**	MEMBER OF PARLIAMENT
5	TANIYA	XI-D	**33**	MEMBER OF PARLIAMENT
6	JASHANDEEP KAUR	XII-E	**34**	MEMBER OF PARLIAMENT
7	ARYAN KUMAR	XI-E	**35**	MEMBER OF PARLIAMENT
8	MANDEEP KAUR	XI-D	**36**	MEMBER OF PARLIAMENT
9	SHEETAL SINGH RANA	XI-D	**37**	MEMBER OF PARLIAMENT
10	YASHIKA SINGH	XI-C	**38**	MEMBER OF PARLIAMENT
11	POOJA	X -C	**39**	MEMBER OF PARLIAMENT
12	MUSKAN	XI-E	**40**	MEMBER OF PARLIAMENT
13	Ankita	XI-E	**41**	MEMBER OF PARLIAMENT
14	BHAVNA	IX-C	**42**	MEMBER OF PARLIAMENT
15	TASHMEET SINGH	X-A	**43**	MEMBER OF PARLIAMENT
16	VIDISHA	IX-C	**44**	MEMBER OF PARLIAMENT

OFFICIALS

S.NO	NAME OF THE PARTICIPANT	CLASS	CODE	ROLE PLAYED
1	RISHI SHANKLA	XII-E	**45**	SECRETARY GENERAL
2	RAGHAV MAHAJAN	XII-D	**46**	STAFF
3	SUHANI	XII D	**47**	STAFF

FOREIGN DELEGATES

S.NO	NAME OF THE PARTICIPANT	CLASS	CODE	ROLE PLAYED
1	ARVIND JAKHAR	XII-D	**48**	FOREIGN DELEGATES
2	SIMRAN CHAND	XII-E	**49**	FOREIGN DELEGATES
3	TUSHAR	XI-D	**50**	FOREIGN DELEGATES

PRESS

S.NO	NAME OF THE PARTICIPANT	CLASS	CODE	ROLE PLAYED
1	JASKARAN SINGH	XII -E	**51**	REPORTER
2	DHRUVRAJ	XII -E	**52**	REPORTER

LIST OF PARTICIPANTS(HINDI)

क्र.सं	प्रतिभागी का नाम	कक्षा	कोड	किरदार
1	निखिल सिंह	XII-D	**1**	सभापति
2	मनीष कुमार	XI-D	**2**	डिप्टी स्पीकर
3	लवप्रीत सिंह	XII-E	**3**	मार्शल

TREASURY BENCH

क्र.सं	प्रतिभागी का नाम	कक्षा	कोड	किरदार
1	योगिता	XII-D	**4**	प्रधान मंत्री
2	हर्षिता	XII-C	**5**	ग्रह मंत्री
3	बादल	XI-C	**6**	रक्षा मंत्री
4	सृष्टि	XI-E	**7**	विदेश मंत्री
5	शताक्षी शर्मा	XI-E	**8**	वित्त मंत्री
6	तेजस्विनी	XII-E	**9**	शिक्षा मंत्री
7	सम्बोधि सहोता	XII-D	**10**	खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री
8	मुस्कान	XII- E	**11**	खेल एवं युवा मंत्री
9	भूमिका गोहेरा	XII-E	**12**	महिला एवं बाल मंत्री
10	मुस्कान	XII-E	**13**	कपड़ा एवम् सहकारिता मंत्री
11	निखिल सिंह	XI-E	**14**	राज्य के कानून एवं न्याय मंत्री
12	आदित्य शर्मा	XII-D	**15**	कानून एवं न्याय मंत्री
13	मनीष रोथान	XII-E	**16**	सड़क एवं परिवहन मंत्री
14	श्वेतांक तिवारी	XI-D	**17**	पर्यावरण मंत्री
15	प्राची पन्नू	X-B	**18**	संसद के सदस्य
16	आभास	X-A	**19**	संसद के सदस्य
17	अरमान	XI-E	**20**	संसद के सदस्य
18	शक्ति सिंह	XI-D	**21**	संसद के सदस्य
19	आशीष	XI-E	**22**	संसद के सदस्य
20	संजय	XII-D	**23**	संसद के सदस्य
21	त्रिशा	XII-D	**24**	संसद के सदस्य
22	A T अभिषेक	XII-A	**25**	संसद के सदस्य
23	कल्पना महला	IX-B	**26**	पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री
24	जसमीत सिंह	IX-C	**27**	संसद के सदस्य

25	प्राची	XI-D	**28**	संसद के सदस्य

OPPOSITION BENCH

क्र.सं	प्रतिभागी का नाम	कक्षा	कोड	किरदार
1	रोहित	XII-E	**29**	नेता प्रतिपक्ष
2	वीरेंद्र	XI-D	**30**	संसद के सदस्य
3	सतनाम सिंह	XI-D	**31**	संसद के सदस्य
4	नीतू	XI-D	**32**	संसद के सदस्य
5	तानिया	XI-D	**33**	संसद के सदस्य
6	जशनदीप कौर	XII-E	**34**	संसद के सदस्य
7	आर्यन कुमार	XI-E	**35**	संसद के सदस्य
8	मनदीप कौर	XI-D	**36**	संसद के सदस्य
9	शीतल सिंह राणा	XI-D	**37**	संसद के सदस्य
10	यशिका सिंह	XI-C	**38**	संसद के सदस्य
11	पूजा	X -C	**39**	संसद के सदस्य
12	मुस्कान	XI-E	**40**	संसद के सदस्य
13	अंकिता	XI-E	**41**	संसद के सदस्य
14	भावना	IX-C	**42**	संसद के सदस्य
15	तसमीत सिंह	X-A	**43**	संसद के सदस्य
16	विदिशा	IX -C	**44**	संसद के सदस्य

OFFICIALS

क्र.सं	प्रतिभागी का नाम	कक्षा	कोड	किरदार
1	ऋषि साँकला	XII-E	**45**	प्रधान सचिव
2	राघव महाजन	XII-D	**46**	कर्मचारी
3	सुहानी	XII D	**47**	कर्मचारी

FOREIGN DELEGATES

क्र.सं	प्रतिभागी का नाम	कक्षा	कोड	किरदार
1	अरविन्द जाखड़	XII-D	**48**	विदेशी मेहमान
2	सिमरन चन्द	XII-E	**49**	विदेशी मेहमान
3	तुषार	XI-D	**50**	विदेशी मेहमान

PRESS

क्र.सं	प्रतिभागी का नाम	कक्षा	कोड	किरदार
1	जसकरण सिंह	XII -E	**51**	रिपोर्टर

2	ध्रुवराज	XII-E	**52**	रिपोर्टर

YOUTH PARLIAMENT

MARSHAL- माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदय।

Speaker- माननीय सभासदों का संसद के मानसून सत्र में हार्दिक स्वागत है।मैं उम्मीद करता हूँ कि संसद का यह सत्र बहुत ही लाभप्रद और देश और जन मानस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके दौरान सदन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

सदन की कार्यवाही के आरंभ में ,सदन के नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी।

Secretary General please .....

S. General - Mr. A T Abhishek , who stands elected from Sivaganga Constituency of TamilNadu ,will now take oath or Affirmation. ..... Sir, In which language would you like to take oath

Mr. Abhishek - In Tamil please.

ELAINER PAARALU MANDRAM URUTHIMOZHI

ELAINGNER PAARALUMANDRA URUPPINARAGA, THERNTHU EDUKKAPPATRA A T ABHISHEK ENNUM NAAN ,SATTA POORVAMAGKA NIRUVAPPETRA INDHIYA ARASAMAIPIN UNMAIYUM NAMBIKKAIYUM PATRUTHALUM KONDU IRUPPEN ENDRUM. INDHIYA NAATIN ORUMAIPATTAIYUM NILAI NIRUTHUVEN ENDRUM, NAAN MERKOLLAVIRUKKUM KADAIMAIYAI NERMAIYUDAN NIRAIVETRUVEN ENDRUM ULAMARA URUTHI KOORUKINDREN.

JAI HIND

S. General- Ms.Trisha Sikhan ,who stands elected from Amritsar Constituencey of Punjab will now take oath or Affirmation. Madam, In which language would you like to take oath

Ms.Trisha Sikhan - In Punjabi please.

Oath in punjabi

ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ,

ਮੈਂ.....ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰਖਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੀ।

ਧੰਨਵਾਦ

Mai.....jo lok sabha di member chuni gayi ha, parmatma di sauh khandi ha ki main kanoon rahi sthapit bharat de samvidhaan prati sachi shardha teh nistha rakhangi.

Main bharat di samratha teh akhandta nu kayam rakhangi. Ate jis ahude nu main sambhalan wali ha uss de kartavya nu shardha de naal nibhavagi.

Dhanvaad.

OBITUARY

Speaker -Honourable members with great sorrow and regret I inform this house about the sad demise of famous political figure of Indian politics ,Shri Mulayam Singh Yadav Ji .He was an Indian politician,a socialist figure and founder of the Samajwadi party.

Over the course of his political career spanning more than six decades, he served for three terms as the chief Minister of Uttar Pradesh and also as the minister of Defence in the union government.

He was a prominent figure of his time in Indian Politics.In 2023,the socialist leader was posthumously awarded with Padma Vibhushan, India's second highest civilian award.In September 2022 he had been hospitalised for a month.Yadav Ji passed away on October10th ,2022 at the age of 82 years in a hospital in Gurugram.

Speaker - Honourable Prime Minister please .....

Prime Minister Ms Yogita :-

हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है

मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।

मुलायम सिंह जी, उत्तर भारत के बड़े समाजवादी और किसान नेता रहे हैं।एक साधारण किसान परिवार में जन्मे श्री मुलायम सिंह जी ने अपना राजनीतिक जीवन उत्तर प्रदेश में विधायक के रूप में आरंभ किया।

मुलायम सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये महत्वपूर्ण कार्य किया।

मुलायम सिंह 1967 में पहली बार विधान सभा के सदस्य चुने गये और मंत्री बने।

1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की।

इसके अतिरिक्त श्री मुलायम सिंह यादव जी ने भारत के रक्षा मंत्री के पद को भी सुशोभित किया। उनकी पहचान एक धर्मनिरपेक्ष नेता की भी थी।उत्तर प्रदेश की सियासी दुनिया में मुलायम सिंह जी दल को प्यार से नेता जी भी कहा जाता था।

मुलायम सिंह जी अपने संसदीय कार्यकाल में देश और देश वासियों के हित में सदन में समाजवाद की एक ज़ोरदार आवाज़ के रूप में जाने जाते रहेंगे।

मैं आदरणीय नेता जी को अपनी विनम्र और भावभीनी श्रद्धॉजलि अर्पित करती हूँ और उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ।

Speaker - Opposition leader please ...

*LEADER OF OPPOSITION Mr Rohit:- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय राजनीति के एक महान व्यक्तित्व श्री मुलायम सिंह यादव जी के रूप में हम सार्वजनिक सेवा के लिये समर्पित जीवन और उस विरासत को प्रतिबिम्बित करते हैं। जिसने हमारे देश के सामाजिक एवम् राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास एवम् हाशिये पर मौजूद वर्गों के उत्थान के प्रति उनकी अट्टूट प्रतिबद्धता हमारे लिये सदैव प्रेरणा बनी रहेगी। बेहतर समाज के लिये उनका दृष्टिकोण हमारे दिलों और कार्यों में हमेशा जीवित रहेगा। ऐसे सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता के जाने से हमारे देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। हम सभी उस श्रेष्ठ **धरती पुत्र** की आत्मा की शांति की कामना करते हैं और उनको भावभीनी श्रद्धॉजलि अर्पित करते हैं।*

Speaker - I request the house to stand in silence for a While to express our deep sorrow towards the great soul .

INTRODUCTION TO NEW MINISTERS

Speaker :- Prime minister to introduce new ministers

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री योगिता, आप सभी सदन के सदस्यों का आदर सहित अभिनन्दन करती हूँ। एवम् मैं आज आप सभी के समक्ष, हमारे साथ जुड़ने वाले कुछ नये मंत्रिमंडल के सदस्यों का परिचय कराना चाहती हूँ।

विदेश मंत्री - कुमारी सृष्टि

कपड़ा मंत्री - कुमारी मुस्कान

QUESTION HOUR

Speaker :- Now we begin with the question Hour

Speaker - Question 101-Mr Rohit please

*Leader of opposition (Sh Rohit)- आदरणीय अध्यक्ष महोदय , भारत सरकार हमारे उत्तर पूर्वी राज्यो को लेकर हमेशा अपनी **पीठ थप-थपाती** रही है ,पर इस बार भारत सरकार ने हमारे उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की पीठ थप थपा कर उसे दंगों की आग में झुलसने के लिए छोड़ दिया है । महोदय , मणिपुर में दो समुदाय आपस में लड़ रहे है लोग मर रहे*

है महिलाओं के साथ

हो रहे अत्याचार और हैवानियत की खबरें लगातार सुर्ख़ियों में है। महोदय, सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है की हमारे प्रधान मंत्री को पिछले ६० दिनों में मणिपुर के बारे में बोलने के लिए समय ही नहीं मिला लेकिन बल्कि इन्हें अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करने का पर्याप्त समय मिलता रहा।

आदरणीय महोदय , ये वैसा ही है की

'रोम जल रहा था और नीरो बाँसुरी बजा रहा था।'

मैं चाहूँगा की गृह मंत्री इन दिल दहला देने वाली घटनाओं पर सदन में अपना बयान दे।

Speaker - Honourable Home Minister please

Speaker -Do you have any supplementary question

Speaker - Honourable Home Minister please

Home minister (Ms Harshita)- आदरणीय अध्यक्ष महोदय , मैं आपके माध्यम से मै सभा को यह बताना चाहती हूं कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से भी बेबुनियाद है। मणिपुर हिंसा को रोकने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। जिन भी लोगों ने वहा स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया उनको हिरासत में ले लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय , मणिपुर में शांति बनाए रखने के लिए वहां पर्याप्त सैनिक बलों को तैनात किया गया। और इन दंगों में जिस किसी को किसी भी प्रकार की क्षति हुई है उन सबका हर्जाना सरकार द्वारा भरा जाएगा। इस प्रकार के दंगों को भविष्य में रोकने के लिये सरकार ने सदन पटल पर एक नया बिल प्रस्तुत किया है जिसमें वह भीड़ द्वारा की गई हिंसा पर दोषियों को 7 वर्ष तक की जेल तथा फांसी तक का भी प्रावधान किया गया है।

धन्यवाद

Speaker -Do you have any supplementary question

Leader of opposition (Sh Rohit)- माननीय अध्यक्ष महोदय ,

जिन हथियारों की गृह मंत्री साहिबा बात कर रही है वे एक रात में आम आदमियों तक पहुँचे कैसे ?

क्या प्रशासन सो रहा था या ख़ुद इस तस्करी में शामिल था ?

COMMOTIONS IN THE HOUSE

महोदय , जहां तक मैं जानता हूँ पुलिस तो ख़ुद उपद्रवियों को हथियार करने में व्यस्त थी।

मैं यह भी पूछना चाहूँगा की जब यह दुर्घटना घटी तो एक भी एफ़आईआर दर्ज क्यों नहीं हुई ?

सीता सिसकियाँ भरती रही, माँ बाट जोहती रही,

मेहंदी वाले हाथ सवाल पूछते रहे, सड़क पर मरने-पिटने वाले तमाशा बनते रहे,

लोग छत से नज़ारा देखते रहे, *क्या सरकार भी नज़ारा देखती रही ? जो एक भी एफ़ आई आर दर्ज नहीं हुई।*

Home minister (Ms Harshita)- मैं सदन को सूचित करना चाहती हूँ की वो हथियार उन लोगों तक देश विरोधी ताकतों द्वारा पहुँचाये गए थे। और रही की बात जिस समय यह घटनाएं घटित हुई उस समय उनकी एफ़ आई आर दर्ज की गई। परंतु कुछ घटनाएं ऐसी थी जो सामूहिक रूप से की गई जिस कारण उन कार्यों की एफआईआर दर्ज करना संभव नहीं था। परंतु मैं हमारी सरकार की ओर से यह वादा करती हूं कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ काम करेगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जायेगा।

धन्यवाद

Speaker - Question 102-Mr Satnam please ....

Sh. Satnam Singh – माननीय अध्यक्ष महोदय,

जैसा कि देखा जा रहा है कि आजकल खाद्य वस्तुओं के दाम अचानक आसमान छूने लगे हैं|

आदरणीय वित्त मंत्री जी क्या यह बताने का कष्ट करेंगी :-

(क) क्या सरकार ने खाद्य कीमतों में आए उछाल का जायजा लिया है? क्या

(ख) आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि मुद्रास्फीति ने किस हद तक इन कीमतों को प्रभावित किया है|

(ग) यदि ऐसा किया गया है तो सरकार खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठा रही है?

(घ) सीमित आय वाली जनता के ऊपर इस वृद्धि का कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए या उठाने जा रही है|

कृपया इस संबंध में आदरणीय वित्त मंत्री जी सांसद पटल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे|

Speaker - Honourable Finance Minister please

FINANCE MINISTER (Ms Shatakshi Sharma)-

Respected speaker sir, I would like to inform the house that the government monitors wholesale and retail prices of 22 essential food commodities as submitted by the 536 price monitoring centers operating across the country. Speaker sir, the government has taken various measures to augment domestic availability and stabilize prices of essential food commodities. The steps taken include, imposition of stock limits for traders, retailers and wholesalers, monitoring of stocks as declared by entities to prevent hoarding, timely release of onion and pulses from buffer stock and requisite changes in trade policy instruments such as rationalization of import duty , changes in import quota and restrictions on export of certain specific commodities. Respected chair, the government ,for the sake of vulnerable sections of the society has implemented **Pradhan Mantri Garib Anna Kalyaan Yojna** under which food grains, will be provided free of cost to 80 crore beneficiaries of the National food security act .In addition to this the government for the sake of migrant workers has implemented **ONE NATION ONE RATION CARD SCHEME** to ensure nationwide portability of ration cards .

Speaker - **Question 103**- Ms Taniya please

Ms Taniya - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम सें रक्षा मंत्री जी से प्रश्न पुछना चाहती हूँ कि

1. भारतीय सेना में मेडिकल और गैर-मेडिकल कैडर में महिलाओं की संख्या कितनी हैं?

2. क्या सरकार की भारतीय सेना में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है ?

3. यदि हाँ तो इसके बारे में जानकारी दी जाए ।

4. यदि नहां तो इसके क्या कारण हैं ?

Speaker -Honourable defence ministers please

DEFENCE MINISTER Mr Badal - Honourable speaker sir ,

Honourable members, I would like to inform the House that the total numbers of women in Indian Army Medical corps as on July 1st 2023

(1) Army Dental Corps -168

2) Army Medical corps (Amc) - 1212

3) Military Nursing service (MNC) - 3841

The total number of women officers in Indian Army (excluding AMC, ADC and MNS) as on January 1st 2023 is 1733 .

Speaker sir The Major Initiatives underway are

(i) 20 vacancies for women Army Cadets per year have been alloted in national Defence Academy Pune with effect from July 2022 .

ii) Short service commission has 90 vacancies. for women including 10 additional vacancies. increased with effect from June 2033

(iii) Approval has been given, since March 2023 for induction of women officers into Aritlery units and in Remount and veterinary corps.

(iv) Entry of women officers as pilots in Army Aviation has commenced with effect from June 2021
Thank you.

Speaker - Question 104- Ms Jashandeep Kaur please
Ms जशनदीप कौर - माननीय अध्यक्ष महोदया / महोदय ,

केन्द्रीय विद्यालय संगठन , नवोदय विद्यालय समिति और सीबीएसई भारत में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम हैं । आदरणिय महोदय ,विद्यालयों में भारत के भविष्य का निर्माण होता है।लेकिन महोदय हाल ही में NVS, K.V.S और CBSE में भर्तियों में व्यापक रुप से धाधंली हुई है।

अध्यक्ष महोदय ,विज्ञापन संख्या 15/2022 , 15/2023 के तहत शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायते प्राप्त हुई हैं।

आदरणिय शिक्षा मंत्री इस सम्बंध में सदन को , सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सूचित करें।

Speaker - Honourable Education minister please
आदरणीय अध्यक्ष महोदय ,
में आपके माध्यम से इस सभा को बताना चाहती हूँ की केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और सीबीएसई से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन संस्थानों में सीबीएसई के माध्यम से शैक्षिक एवम् ग़ैर-शैक्षिक कर्मचारियों की भर्ती आयोजित करने के लिये विज्ञापन संख्या 15/2022 , एवं 16/2022 को अधिसूचित किया गया था। परंतु विज्ञापन संख्या 15/2023 तथ्यों पर आधारित नहीं है।

महोदय, सीबीएसई द्वारा आयोजित कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कुछ केंद्रों पर अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई जिसकी समीक्षा के परिणामस्वरूप उन केंद्रों पर आयोजित 14 फ़रवरी 2023 की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और इसकी पुनः परीक्षा एक मार्च 2023 को करवा ली गई है।

Speaker -Do you have any supplementary question
Speaker - Question 105- Ms Mandeep please
MS Mandeep Kaur - Honourable speaker sir, will the minister of women and child welfare be pleased to state :
1) whether decline in child sex ratio has been recorded in same state and union territories during the past years if so , the details there of ?
2) whether the government has issued necessary guideline to the states which have not shown any improvement in the said ratio.
3) whether Anganwadis will be upgraded to Saksham Anganwadis for early child development. if so , the details there of ?
4) the details of differences and changes between conventional Anganwadis and new Saksham Anganwadis.
5) the number of Saksham Anganwadi in the state of Karnataka ;
6) whether the government has received such proposal to open such Anganwadi in Kalaburagi district and if so , the details there of ?
Speaker - Honourable women and child development minister please
women and child development minister (MS Bhumika)- Honourable speaker sir ,
I would like to inform the house that.,
Beti bachao ,Beti padhao (BBBP) scheme was launched on 22 january 2015 as a Tri-ministrial effort of the Ministry of women and child development , Ministry of Education and Ministry of Health and family welfare To address the issue of decline In CSR In country along With Related issue of empowement of girls And women over a life cycle contium basis.
Speaker sir,
Child sex ratio(CSR) measured Through census by Register gerenal of india Which is a decadal process. The last census Was conducted in year 2011 .
Speaker sir
Under Saksham Anganwadi And Poshan 2.0 two lakh selected awc (40, 000 awc's per year)
Durning finical year 2022-2023 a total no of Anganwadi 100 Aganwadi centres has been apporved In the state of Karnataka For upgradation Of Aganwadi as Saksham Aganwadi the fund amounting to Rs 47.39 lakh Have been relased To the govt. Of Karnataka For the same...

Speaker -Question 106-Mr Aryan please

Mr Aryan - माननीय अध्यक्ष महोदय ,

मैं आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने सभी युवा खिलाड़ियों के लिए एक मजबूत ढांचे का निर्माण करके जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ाने और भारत को खेलों के क्षेत्र में एक मज़बूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए, खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है , लेकिन महोदय इस कार्यक्रम की जानकारी के अभाव में सभी खिलाड़ियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

सरकार ने इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुँचाने के लिये क्या कदम उठाए हैं , इसके बारे में जानकारी सदन पटल पर रखी जाए ।

देश में विशेष रूप से , बिहार में खेले जाने वाले खेलों की प्रतिभा खोजने, और विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण भी सदन पटल पर रखें।

Minister of Sports and Youth affairs (Ms Muskan)-

Hornaible speaker sir, yes the a view to Achieving the twin Objective of mass Participation and promotion in the Excellence in sports . The govt. Introduced the scheme of Khelo India National Program for development of sports in 2016-2017

Speaker sir ,

Sports being a state subject the responsibility of development of sports including taking initiatives for talent search and development of sports played in the country rests mainly with the respective state And union Territory govt.

Speaker sir

How ever,under the talent search And develope sub component Of the khelo india scheme, a total of 2510 Athelets are presently geeting support undet the scheme out of which 11 Athelets belong To state of Bihar . In addition 7780 Athlets are being supported , out of which 30 Are from the state of Bihar..

Speaker -Any supplementary question .

Question 107- Mr Virendra please

Sh Virendra -माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं आपके माध्यम से आदरणीय कानून मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं।

मैं आपका और सदन में बैठे सभी लोगों का ध्यान हमारे देश में हो रही गौ हत्या की और आकर्षित कराना चाहूंगा | जैसा कि आप और सदन में बैठे लोग बखूबी जानते हैं कि गौमाता को हिंदू धर्म के अनुसार माता के समान माना जाता है। ऐसे में भी भारत में 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर गौ हत्या करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह बात यहीं पर समाप्त नहीं होती माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत एक हिंदू बाहुल्य देश है। जहां पर 80 % जनसंख्या हिंदुओं की है लेकिन महोदय ,शर्म की बात तो ये है की इसके बावजूद भारत बीफ का सबसे बड़ा निर्यातक देश है।

माननीय कानून मंत्री जी , गौमाता हमारे लिए एक भावना है ,

तो कृपया इसे कोई राजनीतिक खेल न बनाते हुए ,शीघ्र अतिशीघ्र सरकार, इस संबंध में रिपोर्ट सदन पटल पर रखें और देश की संसद में बताएं कि सरकार हमारे देश में गौ माता की रक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठा रही है?

धन्यवाद!

Speaker – Honourable Minister for LAW AND JUSTICE

Minister for LAW AND JUSTICE (Mr. Aaditya Shrama) - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये गौ हत्या के प्रश्न के संदर्भ में सदन को निम्न तथ्यों से अवगत करवाना चाहता हूँ -

आदरणीय महोदय, संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में ' पशुओं की नस्लों को सुधराने एवम् उनको संरक्षित करने' का आदेश दिया गया है ।

आदरणीय महोदय, देश के कुछ चुनिंदा राज्यों को छोड़कर,लगभग पूरे देश में ही गौ हत्या पर आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध है जैसे की जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान , गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छतीसगढ़, दिल्ली तथा चंडीगढ़ में गौ हत्या करने पर कड़ी सज़ा का प्रावधान है।

आदरणीय महोदय, मैं सदन का ध्यान इस तथ्य की और भी दिलाना चाहता हूँ की यह विषय वैसे भी राज्य सूची के अन्तर्गत आता है जिसके तहत राज्य सरकारों को इस विषय में क़ानून बनाने का अधिकार है।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भी संयोंग की ही बात है कि जिन राज्यों में गौ हत्या पर कोई रोक नहीं है वहाँ सरकार हमारे विपक्षी दलों की है। महोदय, कितने अचरज की बात है की केरल में सड़क पर गौ माता की हत्या कर और उसको पका कर खाने वाली पार्टियाँ आज सदन में गौ हत्या पर प्रश्न पूछ रही हैं।

COMMOTIONS IN THE HOUSE

महोदय, ***मेरा विपक्ष के साथियों से अनुरोध है की जिस गौ माता की पूँछ पकड़कर वो आज राजनीति करना चाहते है यदि उन्होंने अपने राज्यों में गौ माता के पैर पकड़ कर राजनीति की होती तो वो आज विपक्ष में नहीं बल्कि सरकार में होते।***

आदरणीय महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथियों को सुझाना चाहता हूँ की गौ माता को केवल चुनावी माता ना बनायें, बल्कि आप ' दिनकर' जी की इन पंक्तियों को अपने जीवन में धारें-

'दृग हों तो दृश्य अकांड देख
गऊ में सारा ब्रह्मांड देख ।

तभी आपका और देश का भला होगा।

जय हिंद, जय भारत, जय गऊ माता।

Welcome of foreign deligation

माननीय *सदस्यगण, मुझे आप सभी को सुचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है की आज सदन की विशिष्ट दीर्घा में, रूस के संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य वीराजमान है।*

मैं अपने ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की और से भारत की यात्रा पर आये सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करता हूँ , अभिनंदन करता हूँ ।

हम करना करते है की हमारे देश मे आपका प्रवास अत्यंत सुखद,आरामदायक एवम फलदायक रहे।

Mr. Joseph stalin (Chairman of the federal assembly)
Miss Anna roxental (Speaker of the federal assembly)
Mr. Vlamidir aklakov (Foreign minister of Russia)

PAPER TO BE LAID ON THE TABLE

DEPUTY SPEAKER- Now paper to be laid by minister of Road and Transport . Mr. Manish Routhan please ..
Mr. Manish Routhan - Honourable Deputy Speaker Sir,
I beg to lay on the table copy of the papers related to reports by following:-

A copy of the Annual report Hindi and English version of the central institute of road and transport,Pune for the year 2023.
(A) Identification of National highways projects in north eastern states.
(B) Road transport and Road safety all over the country
(C) The report of Research and Development year 2023 to update the standards and specifications for roads and bridges works efficient planning.
Deputy speaker – Ms. Kalpna Mehla , Minister of Animal Husbandry and Fisheries .

Ms. Kalpna Mehla - *Honourable Deputy speaker sir , I beg to lay on the table of the papers related to reports by following ;-*

1) *A copy of the annual report in Hindi and English virsion of the central institute of fisheries education Kolkata for the year 2023-24 .*
2) *A copy of review in Hindi and English virsion by the government on the working of the central institute of fisheries education Mumbai for the year 2023-24.*

CALLING ATTENTION MOTION

Speaker - now let us take up the calling attention motion. I request Ms Vidisha , Mr. Tashmit Singh and Miss Muskan to call the attention for the minister of environment .

Ms Vidisha please .....

MS विदिशा - माननीय अध्यक्ष महोदय ,मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान हिमाचल में होने वाले भूस्खलन की ओर लें जाना चाहती हूं| जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन बढ़ता ही जा रहा है और जिसके कारण 393 लोग अपनी जान गवा चुके हैं और 122 गांव रातों-रात तबाह हो गए| हिमाचल में मानसून की शुरुआत के बाद से 55 दिनों में करीब करीब 113 भूस्खलन हुए हैं| जिसके कारण पीडब्ल्यूडी को 2491 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है| भूस्खलन का सबसे बड़ा कारण पारिस्थितिक रूप से नाजुक हिमालय में अवैज्ञानिक निर्माण ,घटते वन क्षेत्र और नदियों के पास नियोजित संरचनाएं हैं / और इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय ,सरकार अपनी गलती को छुपाने के लिए इन घटनाओं को प्राकृतिक आपदा का नाम देती है। जबकि भूस्खलन का सबसे बड़ा कारण पेड़ों का कटना भी है। भारत के फेफड़े कहे जाने वाले जंगल आज कम होते जा रहे हैं और इतना ही नहीं माननीय मंत्री जी आपकी सरकार विकास के नाम पर पेड़ों को काट रही है। हिमाचल प्रदेश में हाईवे बनाने के लिए 80000 से ज्यादा पेड़ काटे गए हैं।

अध्यक्ष महोदय , अगर हम विकास की बात करें तो उस विकास का क्या लाभ जो रातों रात ढहं जाए। हिमाचल में 2216 घर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं और 9819 घरो को नुकसान हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय , अगर हम एक आम आदमी की बात करें तो उसका घर उसके लिए घर नहीं एक मंदिर समान होता है| वह घर जिसे एक आम आदमी ने अपनी जीवन की जमा पूंजी और प्यार से सजाया है वों उसके सामने तबाह हो रहा है। उस दृश्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते इसीलिए मैं जनता की ओर से यह जानना चाहती हूं कि सरकार ने भूस्खलन को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं और मेरा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है कि वह इसके बारे में देश को जानकारी दें और सरकार भूस्खलन को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाएगी उसके बारे में जानकारी सदन पटल पर रखें|

जय हिंद

जय भारत|

कुमारी मुस्कान - माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या जो डैम को खोल दिया गया वो सरकार की अनुमति से थाँ अगर सरकार की अनुमति से थाँ तो ऐसा क्यों किया गया और अगर सरकार की अनुमति से नहीं था तो किसने आदेश दिया डैम को खोलने का

क्योंकि इस एक फ़ैसले की वजह से बहुत लोगो को आपत्तियों का सामना करना पड़ा और बहुत सारेलोग बेसहारा और बेघर हो चुके हैं अब सरकार उनको क्या सजादेगी जिनकी वजह से यह सब हुआ है और जो लोग इस परेशानी से झुंझ रहे है उनके लिये सरकार क्या करेगी कैसे उनको आश्वासन देगी लोग सरकार पर कैसे भरोसा करे और कबतक मानिनियाँ आपदा को प्राकृतिक आपदा का नाम देके पला झाड़ती रहेगी

Speaker- Mr . Tashmit Singh Please

1 माननीय अध्यक्ष महोदय

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो हिमाचल प्रदेश में 15 परियोजनाएं चल रही है जिसमें से एक परियोजना की लागत लगभग 650 करोड़ से 1500 करोड़ तक की है| इतनी बड़ी-बड़ी परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन जैसी समस्या हो पड़ी है| क्या सरकार विकास के नाम पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर सकती है? क्या सरकार को यह अधिकार है?

2.अध्यक्ष महोदय

क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट कर सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में 2 मंजिला घर बनाने का कानून था इसके बाद भी वहां 5 मंजिला से 8 मंजिला घर बनाए गए है इस पर सरकार का क्या कहना है, देश जानना चाहता है|

श्री श्वेतांक तिवारी;-

माननीय अध्यक्ष महोदय ,. हम स्वीकार करते हैं कि भूस्खलन से बहुत भारी नुक़सान हुआ, जन हानि हुई, मवेशिय की मृत्यु हुई। हमें दुख हैं कि हिमाचल प्रदेश की इस बड़ी दुर्घटना के होने से 24 जून से अब तक लगभग 61 मौतें हो चुकीं है, 100 से अधिक लोग लापता है, 304 लोग घायल हुए हैं। 1442 घर ढह गए हैं। महोदय, हमारी तमाम कोशिशों के बाद भी इस जन हानि की भरपाई तो नहीं की जा सकती परंतु सरकार ने इन मृतकों के परिजनों केऔर गंभीर रूप से घायलों के लिए सहायता राशि देने की घोषणा की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय

मैं आपको और इस सदन में बैठे सभी सम्मानित सदस्यों को यह बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार सड़कों को लेकर बहुत सचेत है । कोई भी अवैज्ञानिक निर्माण नहीं हुआ है। भारत सरकार द्वारा बनाई गई सड़क , इस आपदा का मुख्य कारण नहीं है,इसका मुख्य कारण भारी बारिश है,। जब तक हिमाचल में बारिश नहीं हुई थी तब तक वहाँ पर किसी प्रकार की भूस्खलन की खबर नहीं थी। ।नेता जी बारिश एक प्राकृतिक आपदा है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय

हमारा भारत एक विकासशील देश है, हमारे देश मे विकास को आगे करने के लिए सड़क का होना अति आवश्यक है । सड़क तथा रेल हमारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, पहाड़ी क्षेत्रों के किसान अपनी फसल को सही दामों में बेंच पायेंगे , सड़क हमारे देश की आंतरिक तथा सीमा सुरक्षा को मज़बूत करेगी । सड़क के हिमाचल में पहुँचने से उद्योगीकरण बढ़ेगा, जो लोग वहाँ बेरोजगारी से तंग है, उन्हें रोज़गाएँ मिलेगा।

इस सदन मे बैठे सभी मंत्रीगणों का ध्यान इस ओर ले जाना चाहूँगा कि पेड़ काटे तो जा रहे है पर उसके बदले में दोगुना पेड़ लगाए भी जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय ,

मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूँ कि बिना पेड और पहाड़ काटे कैसे सड़क बनाई जा सकती है ।अगर कोई सुझाव है तो दीजिए । जब आप की सरकार उत्तर पूर्वी राज्य में थी तब सरकार सड़क निर्माण नहीं करवा रही थी और कह रही थी कि सड़क निर्माण से बाहरी देश के लोग हमारे देश मे घुसपैठ करेंगे, और इसका हमें ऐसा तोहफा मिला कि हमारी सात बहने इस देश से अलग होने जा रही थी । नेता जी डर कर देश नहीं चलाया जाता है बल्कि 56 इंच का सीना ठोककर सड़के और बोगी बील जैसे पुल बनाकर देश चलाया जाता है। केवल डींगें हाँकने से सरकार नहीं चलती है, जो बोलते हैं उस पर खरा उतरना पड़ता है ।

माननीय नेता जी, आपकी बातें तो यही दर्शा रही है कि सिर्फ पठारों और मैदानी इलाक़ों पर रहने वाले लोगों के लिए ही विकास और जन सुविधाएँ है, पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों के लिए कोई विकास और जन सुविधाएँ नहीं है। हमारी सरकार सभी क्षेत्रों में को सामान रूप से विकास करने का प्रयास कर रही है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय

सतत निकास को लेकर भारत सरकार बहुत सजग है, उसी के अंतर्गत हमने बहुत सी योजनाएं भी आरंभ की है|

1.जल अभियान हरित भारत के लिए राष्ट्रीय अभियान

2.हिमालय परितंत्र को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय अभियान

आदरणीय अध्यक्ष महोदय

बाँध के दरवाज़े भारत सरकार की अनुमति से ही **खोले गये थे।** अगर हम उचित समय पर ये निर्णय नहीं लेते तो नुक़सान कई गुना ज़्यादा हो सकता था।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय

जब हमारे देश के पहाड़ी क्षेत्रों में विकास की ओर कम ध्यान दिया जा था और पर्यावरण संरक्षण की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा था -तब आप ही बड़े जोर से विरोध कर रहे थे की विकास नहीं हो रहा है और जब विकास कि गंगा बहा रही है तो आपके पेट मे दर्द हो रहा है कि पर्यावरण बचाओ (2)

जितना देश आपका है ,उतना ही देश हमारा है। हमें देश उतना ही प्यारा है जितना आपको है ।

इस देश की हिफाज़त ही मेरा ईमान है।

मेरे वतन में ही बसती मेरी जान है

भारत देश पर कुर्बान है मेरा सबकुछ

मेरा देश ही मेरी असली पचहान है ।

धन्यवाद । जय हिन्द, जय भारत।

जय हिन्द जय भारत

PRIME MINISTER Ms Yogita :-मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से सभा को यह बताना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश में हो रहे भूस्खलन को रोकने और उसे बचने के लिए भारत सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं ।

जिन स्थानों पर भूस्खलन की घटना हुई है, वहां रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है और राहतकार्य तेजी से चल रहा है पीड़ितों के इलाज के लिए चिकित्सा कर्मचारी रात दिन जुटे हुए हैं ।

जिन स्थानों पर भूस्खलन होने की आशंका है वहां के स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थानो पर विस्थापित किया जा रहा है ।

नुक़सानदायक पेडों को काटा जा रहा है ताकि वह और कोई भारी नुक्सान न पहुँचा सके l

आगे भविष्य में भूस्खलन ना हो इसके लिए भारत सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए हैं

भारत के 95% पर्वतीय क्षेत्र की मैपिंग हो चुकी है जिससे कामजोर मिट्टी और भूकम्प आने की सम्भावना वाले स्थानों का पता किया गया है कि कहाँ पर भूस्खलन की ज्यादा संभावना है और कहां कम इसी सर्वे के आधार पर ऊन क्षेत्रो में दो मंजिल से ज्यादा ऊंची इमारत बनाना गैरकानूनी होगा

रेड अलर्ट क्षेत्र में घर खैरीदे या बेचे नहीं जाएंगे । जिन पहाड़ी क्षेत्रों में दरारे पनप रही हैं वहां बारिश और नदियों के पानी की घुसपैठ को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं । Unscientific और भारी, रेलवे निर्माण और उत्खनन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है

जैसा कि विपक्ष के हमारे साथी बोल रहे थे कि भूस्खलन का एक कारण Unscientific निर्माण कार्य है ,मैं आपका ध्यान आपकी सरकार के समय बनाए गए बाँधों की और ले जाना चाहूंगी आपने जो विरासत हमारे लिए छोड़ी है उसे हमारा देश आज भी भुगत रहा है। आपको अपने कार्यकाल में sustainable development का जरा भी ध्यान नहीं आया । और जब हमारी सरकार इसे सुधारने के लिए आवश्यक प्रयास कर रही है तो आप अड़ंगा लगा रहे हैं।

LEGISLATIVE BUSINESS

Bill to be introduce .

Speaker - LEGISLATIVE BUSINESS
Honourable minister of state ,law and justice to introduce the bill
(MINISTER OF STATE , LAW AND JUSTICE)Mr Nikhil please -
Mr Nikhil :- Honorable speaker sir, I beg to move for leave to introduce the Bahartiya Naya Santiha 2023.Bill which repels the Indian penal code 1860. The bill retains several parts of the IPC. Changes include introduction of offences of organised crime and terrorism, enhancement in penalties for certain existing offences, and introduction of community services as a punishment for certain petty offences.
Speaker :-The question is : that leave be granted to introduce a bill for BHARATIY NYAY SAMHITA 2023.
Those who are in favour will say ….. AYES
Those who are against will say …….NO
I think the AYES have it , AYES have it , AYES have it
Leave is granted
(MINISTER OF STATE , LAW AND JUSTICE)Mr Nikhil- Honourable speaker sir , Introduce the bill .

BILL FOR CONSIDERATION

Speaker: *Now the House will take up consideration of the* ***"Right to Food and Security Amendment Bill-2023"****. Minister of Food and Supply please.*

Minister of Food and Supply (SAMBODHI): *Sir I introduce the bill "Right to Food and Security Amendment Bill-2023" for consideration.*
Sir, it is beyond all doubt and debate that food is a basic human need and it must be granted unconditionally to all human beings. Bringing down inequality in society is one of the key mandates for any welfare state. The government, shall be gravely failing in its duty if in the 77th year of independent India. It can't ensure access to adequate quantity of quality food at affordable prices to its citizens.
Today India has the largest stock of grain in the world. The Chinese government spends 950 crore rupees every year on the production of grains yet 26% of its population remains under nourished. Even though introduction of rationing in India dates back to 1940s, the PDS covers only 40 crore BPL families.
Salient provisions of the bill are as follows:
101. Comprehensive approach of the bill is to give due consideration to other factors on which nutrition depends, in addition to access to food. They are better maternal and child care practices, hygiene, clean drinking water and sanitation etc.
102. (a) Two-tiered monitoring system with due participation of both the centre and the state government. machinery for proper implementation and

supervision by a committee comprising DC, a member of Zila Parishad, State Vigilance Dept., and CMO of Health Department.
102. (b) Cost sharing between Central and State government. on 70:30 pattern covering the expenditure incurred on procurement, allocation, transportation and storage of food.
103. Greater involvement of local bodies like Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad in identification of beneficiaries calculated on the basis of State Census.
104. Diversification of food basket to address nutritional needs by including non-cereal food like fruits, vegetable, milk and poultry procured with foreign exchange earned by export of accumulated stocks of food grain.
105. Leveraging Aadhar for unique identification with biometric information of entitled beneficiaries for proper targeting of benefits.
106. (a) Maintaining Internal Grievance Redressal mechanism comprising call centres, helplines and nodal officers.
106. (b) Full-fledged transparency in recording of transactions at all levels through application of information and communication technology tools.

सुखी रहें जनमानस, खाद्य सुरक्षा पाकर,
भोजन का अधिकार, ग़रीबी दूर हटाकर।
फिर प्रथम ज़रूरत मानवता की पूरी होगी,
उन्नत होगा देश, नियोजित साधन पाकर।

Honourable Speaker Sir, I'm confident, all the Honourable members of this house, irrespective of party affiliations will welcome the bill wholeheartedly. It will help to exorcise the demon of chronic hunger which had Indians in its vice like grip for generations also paving way to remove the blot of malnutrition and consequent evil that plague the society and nation at present. With these words I now move that Right to Food and Security amendment Bill-2023" be taken into consideration.

***Speaker**: Motion moved that the bill "Right to Food and Security Amendment Bill-2023" be taken into consideration. Ms. Prachi Pannu please.*

***Ms. PRACHI PANNU** : Honourable speaker Sir, I rise to support this bill*
According to WHO report, child wasting or child dying of malnutrition is on the rise across the whole world. The number of people affected by hunger globally rose to as many as 828 million in 2021, an increase of about 46 million since 2020 and 150 million since the outbreak of the COVID-19 pandemic. Another emerging face of malnutrition in children is overweight and obesity.
The 2022 Global hunger index report ranked India 102nd out of 117 countries in malnutrition with a serious issue of child wasting. Speaker sir, at least one in five children under the age of five in India is wasted.

GHI report 2022 has pointed out that India has lagged behind in improving its global hunger index score despite strong economic growth. Ensuring food security is an issue of great importance for a country like India where one third of the population is estimated to be absolutely poor.
The irony of this tragic situation is further heightened by the fact that India is one of the largest producers of food grain in the world.

Mam, this dilemma of hunger amidst plenty. The image of fakir with golden begging bowl widely highlighted by media across the world is enough to make us a butt of joke on international stage.
why to go with stretched hand seeking alms from world bank IMF, when there is a treasure of overflowing granaries in our own back yard. It is time to credit cheque of golden harvest to feed the hungry mouth.
Madam speaker, this bill will assuredly reduce the cases of child wasting and malnutrition in our country.
Therefore, I rise to support this bill
किस तरह आगे बढ़ेंगे भूख से पीड़ित बेचारे ?
ये हमारे मीत हमदम हम बने इनके सहारे!
चाहिए जो राष्ट्र अपना विश्व में विजयी बनाना,
साथ उनको ले बढ़ो, मत छोड़ना उनको किनारे!

SPEAKER *: कु. जसमीत*

*कु. **आयुषी:** अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से इस 'भोजन का अधिकार' बिल का समर्थन करती हूँ| भोजन जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है|जिसकी पूर्ति से भारत के गरीब एवं ज़रूरतमंद नागरिकों के शारीरिक व बौद्धिक विकास के लिए न्यूनतम पोषण मिलेगा।*

इसके अतिरिक्त इस बिल के अनुसार कई अन्य स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ भी ज़रूरतमंद लोगों को उपलब्ध करवाई जाएंगी| इस बिल से स्त्रियों की स्थिति समाज में और मज़बूत होगी क्योंकि योजना के सभी लाभ परिवार की महिलाओं के माध्यम से ही परिवार तक पहुँचेंगे। इस बिल में गर्भवती महिलाओं के पोषण लिए आवश्यक तत्वों तथा भोज्य पदार्थों का विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे हमारे देश के लाखों बच्चे गर्भावस्था में कुपोषण का शिकार होने से बचेंगे।

इस बिल की क्लॉज़ संख्या 106 ब का भी मैं समर्थन करती हूँ जिसमे सूचना के आधुनिक साधनों तथा इन्टरनेट के माध्यम से सरकार द्वारा आवंटन तथा सभी हस्तांतरण को पारदर्शिता के लिए पब्लिक डोमेन पर रखा जाएगा।पारदर्शिता के साथ- साथ भ्रष्टाचार संबंधी गतिविधियों पर निगरानी व नियंत्रण रखने के लिए केंद्र , राज्य तथा जिला स्तर पर समितियां भी बनायी गई है।

अंत में, मैं इस बिल से लोगों को मिलने वाली व्यापक सुविधाओं तथा पोषण से मिलने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए इस बिल का समर्थन करती हूँ।

SPEAKER *: कु. **पूजा***

कु. पूजा : अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से भोजन का अधिकार बिल के इस प्रावधान का विरोध करती हूँ जिसमें ग़रीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के पोषण के लिए प्रति माह 25 किलोग्राम अनाज देने की व्यवस्था की बात की गई है जो प्रतिदिन लगभग 165 ग्राम प्रति व्यक्ति बनता है| जिससे लगभग 350 केलोरीज़ ही प्राप्त होती है जबकि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 2400 कैलरीज़ की आवश्यकता होती है|

मैं बिल की क्लॉज़ संख्या 101 का भी विरोध करती हूँ क्योंकि सरकार का यह बिल कागज़ी और हवाई महल अधिक है| सरकार की ओर से अच्छे स्वास्थ्य तथा कुपोषण को रोकने के लिए मिड डे मील जैसी कई योजनाएं पहले से ही चलायी जा रही है परंतु उनके लाभ अभी तक लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुँच पाए हैं।

मैं बिल की क्लॉज़ संख्या 102 ब का भी विरोध करती हूँ, तथा इसमें संशोधन चाहूंगी क्योंकि बिल के इस क्लॉज में भोजन के आर्थिक ख़र्च उठाने का 70 30 का जो अनुपात केंद्र तथा राज्यों के लिए निश्चित किया गया है वह सभी राज्यों के लिए उचित नहीं है| भारत के सभी राज्यों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति एक सी नहीं है, हमारे देश के कुछ राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, बिहार, ओड़िसा, व छत्तीसगढ़ आदि योजना के लिए 30 प्रतिशत ख़र्च करने में पूरी तरह से समर्थ नहीं है जिसके कारण इन राज्यों में इस योजना को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकेगा।

अध्यक्ष : खाध्य तथा आपूर्ति मंत्री (कु. सम्बोधि)

खाध्य तथा आपूर्ति मंत्री (कु. सम्बोधि): अध्यक्ष महोदया जी, नेता विपक्ष ने इस बिल के कुछ प्रावधानों तथा क्लॉज़ पर जो आपत्ति जताई है , उस से लगता है कि सदन के कुछ साथियों को इस बिल को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं, जो मैं आपके माध्यम से दूर करना चाहती हूँ|

मैं सदन के साथियों को यह बताना चाहूंगी कि इस बिल में न केवल प्रति व्यक्ति हर महीने २५ किलोग्राम अनाज का प्रावधान है बल्कि अनाज के साथ फल, दूध तथा अन्य भोज्य पदार्थ भी उपलब्ध करवाए जायेगे, जिससे एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक २४०० कैलोरीज तो मिलेगी ही, इसके साथ पोषण के लिए आवश्यक तत्व, विटामिन्स, मिनरल्स आदि भी मिलेंगे जिस से स्वस्थ भारत का निर्माण होगा|

जहाँ तक सवाल है बिल के क्लॉज़ संख्या 101 का, तो मैं अपने साथियों को इस बात से अवगत कराना चाहूँगी कि इस बिल में जितना ध्यान ज़रूरतमंद लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं का रखा गया है उतना ही ध्यान योजना को सुचारु ढंग से चलाने तथा आवश्यक लाभ लोगों तक पहुँचाने पर भी रखा गया है।

क्लॉज़ संख्या 102 तथा 106 में योजना को सही प्रकार से चलाने तथा नियमित आवंटन पर निगरानी रखने के लिए जिला, राज्य तथा केंद्र प्रत्येक स्तर पर समितियां व आयोग का गठन किया जाएगा| लोगों से जुड़े प्रत्येक हस्तांतरण को इन्टरनेट पर सार्वजनिक रखा जाना भी अनिवार्य किया गया है। मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूँ कि केंद्र एवं राज्यों के सम्पूर्ण सहयोग से जो लाभ काग़ज़ों पर दिखाई दे रहे हैं वह सभी लाभ ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुँचाए जाएंगे।

मैं नेता विपक्ष की क्लॉज़ 101 ब के विरोध में यह बात स्पष्ट करना चाहूँगी कि इस योजना में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच जो 70 : 30 के अनुपात में ख़र्च उठाना सुनिश्चित किया गया है यह अनुपात कई राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में विभिन्न राज्य सरकारों की आय तथा अन्य संसाधनों के आंकड़ों के आधार पर निश्चित किया गया है, यदि कोई राज्य निश्चित 30 प्रतिशत आर्थिक ख़र्च उठाने में असमर्थ होंगे तो उन राज्यों के लिए केंद्र की ओर से विशेष आर्थिक अनुदान देने का प्रावधान रखा जाएगा।

***Speaker**: Ms. Yashika (From Opposition)*

*Ms. Yashika**: Honourable speaker sir, I congratulate the minister for painting the pretty picture of the pathetic pandemonium. It is indeed a cruel joke when***

letting its citizen languish in poverty for more than 77 years, a govt. wakes up from its slumber to ask them "HUNGRY KYA"?
I'm afraid it is a case of too little and too late. It is a pity that this seemingly fantastic scheme will prove to be nothing, but a mere figment of fantasy once subjected to ground reality.

I question not only the ideological desirability but also the financial viability of this scheme. A group is 40 economists cautioned that this bill would put an additional b burden on the exchequer.

This scheme is an outcome of government's myopic vision to elevate the short-term social stress and not building a long-term economic model.
There is a Chinese proverb, "Give a man a fish and he will eat for a day, teach him how to catch a fish and he will eat forever". So, sir, when looked at from a distance it appears to be enchanting but it is not gold though it glitters.

It is my request to all the members of the house not to burden already crumbling Indian economy with this white elephant, otherwise it may prove to be the last straw which broke the camel's back.
***Speaker**: Mr. Abhas please*
***Mr Abhas**: Speaker Sir, I'm glad that by raising this point the learned member of opposition has given me an opportunity to burst some myth surrounding this bill.*
As far as the question of identification by the state is concerned, this clause has been incorporated keeping in view the wide inter-state variations in the socio-economic condition, as any criteria evolved by the Central Goverment, may not have properly reflected these diversities. Therefore, this work has now been left to the states.
Speaker Sir, Today India has become an economic giant with an annual budget of Rs 348 billion. An additional expenditure of Rs. 6 lakh crores for this very deserving cause will have no effect on the financial management or fiscal deficit of the country.
This bill is not only affordable for the government but also beneficial for the long-term sustainability of Indian economy. It will propel India towards becoming a super power of the 21st century.

Speaker Sir, I don't have an iota of doubt that this ambitious bill is an unparallel scheme in the world that would usher in a revolutionary change, beginning a new socio-economic chapter, in the annals of the country's history.

I know it is a battle but it must be fought and won!
गुमा तो एक धोखा है, गुमा का साथ क्या देना।

जो पत्थर रास्ते में आए, ठोकर से हटा देना !

कोह शिकन, फौलाद जैसे जस्तों बाज़ू है,

मैं लंगर खोलने वाला हूँ, तूफ़ां को बता देना!

मैं सदन से अनुरोध करता हूँ कि इस ऐतिहासिक विधेयक को पारित किया जाए।

Speaker: *Ms. Pooja(Opposition)*

Ms. Pooja (Opposition)अध्यक्ष महोदया जी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े विभिन्न राज्यों की स्थिति से अवगत है, यदि सरकार बिल की क्लॉज़ संख्या 102 में आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में योजना को लागू करने के लिए विशेष आर्थिक अनुदान प्रदान करने का प्रावधान रखती है तो मैं विपक्ष की ओर से इस बिल का समर्थन करती हूँ |

Speaker: ***Ms. YASHIKA***

Ms. YASHIKA: *Speaker sir, after the clarification of Minister Food and Supply I have no further reasons to deny this needful bill which will fulfill the basic necessities of the citizens of this proud country after the effects of the most disastrous pandemic of this planet that is Covid-19.*

Speaker: *Minister of Food and Supply*

Minister of Food and Supply: *I hope I have satisfactorily answered most of the points raised by the members and convinced them.*
Once again, I thank you for your support and solicit your cooperation in implementing the bill. I request the house to pass the bill.

Speaker: *The question is that the bill "Right to Food and Security Amendment Bill-2023" to be taken into consideration.*

Those who are in favour will please say Ayes!
(The majority of the members say Aye).

Those who are against will please say No.
(A minority of members say No).

I think the Ayes have it! The Ayes have it! The Ayes have it!

The motion is adopted

Now let us take up clause by clause consideration

Speaker: *Now the question is that clauses 101 to 103 the enacting formula and the title stands part of the bill. There is one amendment in clause 102 by Ms. Pooja (Opposition). Are you moving it?*

***Ms. Pooja* (Opposition):** *No sir, in view of reply given by the Minister. I am not pressing my amendment.*
Speaker: *Now the question is that clauses 104-106 stand part of the bill."*

Those who are in favour will please say Ayes!
(The majority of the members say Aye).

Those who are against will please say No.
(A minority of members say No).

I think the Ayes have it! The Ayes have it! The Ayes have it!

The motion is adopted.

Speaker: *Minister of Food and Supply please.*

Minister of Food and Supply: *Sir I move the bill be passed.*

Speaker: *Motion moved that the bill is passed.*

Those who are in favour will please say Ayes!
(The majority of the members say Aye).

Those who are against will please say No.
(A minority of members say No).

I think the Ayes have it! The Ayes have it! The Ayes have it!

The motion is adopted! The bill is passed.

The house is adjourned to meet again at 11:00 A.M tomorrow.